अनुमुद्रिति

वर्ष–१७ ★ अंक–१, २
जनवरी–जून
१९८९

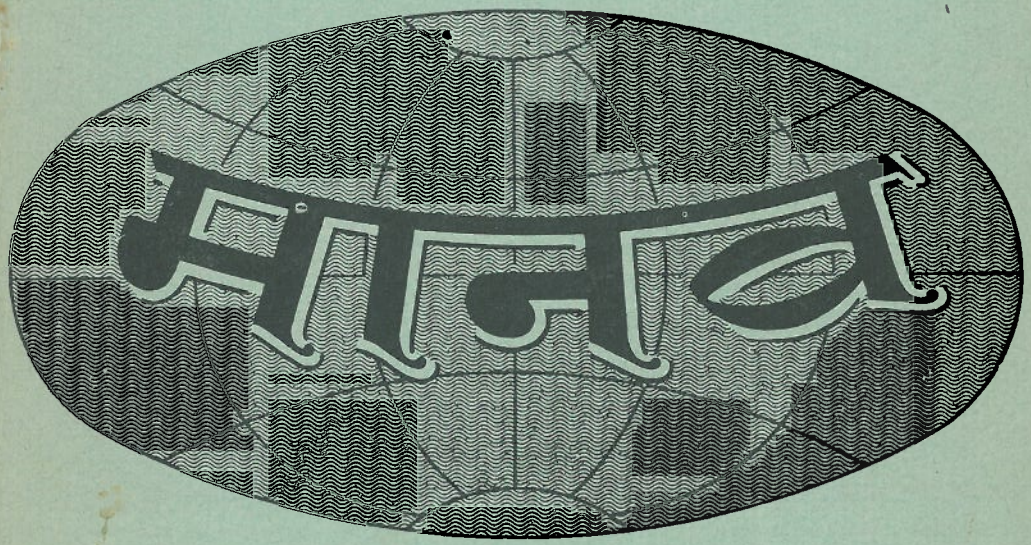

एथनोग्राफिक एण्ड फोक कल्चर सोसायटी, लखनऊ

जनजातीय युवागृह—बदलते प्रतिमान
(म० प्र० की गोंड जनजाति के सन्दर्भ में)

सुचित्रा विश्वकर्मा

तेजी से बदलती हुई आधुनिक शक्तियाँ समाज की प्रमुख संस्थाओं को निरन्तर प्रभावित करती रही हैं। फलस्वरूप वे संस्थाएँ जिनकी उत्पत्ति व विकास की क्रमिक प्रक्रिया रही और कालान्तर में निश्चित स्वरूप को प्राप्त हुई, इनके प्रभाव से अपनी मौलिकता को परिवर्तित होने से रोक न पायीं। विवाह, परिवार, जाति, धर्म, संस्कृति, मनोरंजन, सामाजिक संस्थाओं तक सीमित न रहे। वे जनजातियाँ जो इन सब शक्तियों के प्रभाव से अछूती, दुर्गम वन प्रदेशों में अपनी संस्थाओं की मौलिकता एवं संस्कृति की प्राचीनता को बनाये हुए थीं, इनके सम्पर्क में आकर परिवर्तन के शाश्वत नियम को स्वीकार करने लगी हैं।

जनजातीय संस्कृतियों की प्राचीनता और मौलिक संस्थाएँ उनकी विशेषतायें हैं। युवागृह इनमें से एक है। यह जनजातियों की एक ऐसी संस्था है जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। युवक-युवतियों की प्रगति के लिये जनजातियाँ कितनी सजग हैं, तथा उनकी चतुर्मुखी अभिवृद्धि के लिये ये क्या-क्या करते रहते हैं, यह जानकारी इस संस्था के ऐतिहासिक अध्ययन एवं वर्तमान स्वरूप से भली भाँति हो जाती है।[1]

सामान्य रूप से जनजातीय युवागृह अविवाहित लड़कों और लड़कियों का एक ऐसा संगठन है जिसका कार्य उन्हें अपने समाज की संस्कृति से परिचय कराना तथा अपनी संस्कृति के अनुरूप उनके मानसिक विकास को सुनिश्चित करना है। भारत के कई भागों के अनाक्षर समाजों में युवागृह का प्रचलन पाया जाता है। ऐसे युवागृहों के सर्वोत्कृष्ट वर्णनों में से एक मेलिनोस्की द्वारा प्रस्तुत ट्रोब्रियंड द्वीपवासियों के 'बुकुमाटला' का है।[2] अब भारत में मुरिया, भोटिया, ऊराँव, मुण्डा तथा कोयनक नागाओं में ऐसे युवागृहों के अवशेष रह गये हैं। परम्परागत रूप से इनका मुख्य कार्य जनजातीय संस्कृति, सुरक्षा और नियन्त्रण से सम्बन्धित रहा है,

---

कु० सुचित्रा विश्वकर्मा, प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर बालिका विद्यालय, रायपुर, म०प्र०

किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि बाह्य सभ्यता के बढ़ते हुए प्रभाव और दूषित मनोवृत्ति के कारण ही शायद जनजातीय सांस्कृतिक संगठन की यह महत्वपूर्ण संस्था विघटित होने लगी है।

इन्हीं कारकों की खोज तथा शंकाओं के समाधान हेतु गोंड जनजाति की सांस्कृतिक संस्था 'युवागृह' का लघु गवेषणात्मक अध्ययन किया गया।

युवागृह का प्रचलन

गोंड जनजाति में युवा सदस्यों के मनोरंजन का सर्व प्रमुख केन्द्र घोटुल है। युवागृह अंग्रेजी शब्द डारमेट्री (Dormitory) का हिन्दी रूपान्तर है जिसे जर्मनी में 'जुगलिग्स हाउस" कहा जाता है। जनजातीय समाज के युवा-युवतियों को उनके समाज की संस्कृति तथा अन्य बातों में दीक्षित करने के लिये यह संस्था भारत में ही नहीं बल्कि संसार की सभी जनजातियों में पायी जाती है। बोली की विविधता के कारण यह संस्था असम के नागा में "याकिचुकी", भोटिया में "रंगबंग", ऊराँव में "धूमकुरिया", मुण्डा और हो में "गतिओरा", जुआंग में "दरबार", भुइयाँ में "धनगरवस्सा", असम के कोयनक नागा में "मोरंग", गारो में "नोक-पाँते", बोन्दो समाज में "सेलानी डिंगो", ओ जनजाति में "आरिचू" तथा मुरिया और गोंड जनजाति में "घोटुल" की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। लड़कों तथा लड़कियों के युवागृह विभिन्न जनजाति में भिन्न-भिन्न नामों से जाने जाते हैं। लहोठा नागाओं में लड़कों के युवागृह "चम्पो" (Champo), कोयनक नागा में "मोरंग", मेमी में "इखुमिची" के नाम से प्रचलित हैं। खासी जनजाति में "चांग", मिकिर में "रिसोमार" (Risomar) तथा तंग्सा जनजाति में "लेपोंग" (Loopong) में लड़कियों के पृथक युवागृह हैं, जिन्हें "लूप" अथवा "लिकप्यास" (Likpyas), येमी में "इलायची", कोयनक नागा में "यो" नाम से जाना जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत उत्तर बस्तर के कांकेर तहसील के अन्तर्गत आने वाले ८० गोंड जनजाति का चयन निदर्शन पद्धति के द्वारा किया गया। साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से आँकड़ों का संकलन किया गया।

युवागृह—महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन के रूप में

जनजातीय संस्कृति की यह महत्वपूर्ण संस्था उनके सामाजिक संगठन का आधार है। मजूमदार का कथन है कि जनजातीय युवागृह इस प्रकार का परिसंघ अथवा समिति हैं, जिसकी स्थापना कुछ विशेष नियमों के अन्तर्गत कुछ इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने के लिये की जाती है।[३]

जनजातीय परम्पराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने वाली यह संस्था अपने युवक युवतियों को सामाजिक भूमिका को निभाने, अपनी संस्कृति को पारंगत बनाने के आधार-

भूत कार्य द्वारा संगठन को सुदृढ़ता प्रदान करती है। यही कारण है कि युवागृहों में प्रदत्त प्रशिक्षण से जनजातीय जीवन में जो प्रभावकारी सहकारिता बढ़ सकी है, वह किसी दूसरे संगठन से सम्भव नहीं थी। उत्तरदाताओं से यह पूछने पर कि वे युवागृह को महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन मानते हैं या नहीं–५७.५% ने अपनी सहमति व्यक्त की, २१.२५% ने इस सम्बन्ध में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की तथा शेष २१.२५% ने असहमति दी। इससे यह ज्ञात होता है कि युवागृह सामाजिक संगठन का आधार है।

युवागृह के उद्देश्य

मनुष्य ने जब से समूह में रहना प्रारम्भ किया, तब से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तरह-तरह के संघों का निर्माण भी करना शुरू कर दिया। माना जाता है कि आदिम समाजों में संघ सामान्य रूप से लिंग, व्यवसाय, आयु तथा सामाजिक स्थिति के आधार पर बनाये गये, जिनमें भी लिंग तथा आयु का आधार महत्वपूर्ण रहा। युवागृह के निर्माण के पीछे भी ये ही तत्व प्रमुख रहे होंगे। इस संघ की सदस्यता एक निश्चित आयु के पश्चात् स्वतः ही प्राप्त हो जाती है।

यद्यपि एलविन, ग्रिगसन और हडसन ने यौन शिक्षा को युवागृहों की स्थापना का आधारभूत उद्देश्य माना है, लेकिन यह अतिरंजना है। युवागृहों में यौन सम्बन्धों में जो छूट दी जाती है इसके पीछे उद्देश्य यही है कि किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित अनुराग, उनमें ईर्ष्या और द्वेष की भावना को जन्म दे सकता है जो किसी भी संगठन की सुदृढ़ता पर प्रभाव डाल सकती है। लोवी का कथन है कि मानव व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव अपने आयु वर्ग के साथी सदस्यों का होता है। इस संघ के भीतर जब एक किशोर दूसरे युवा सदस्यों से शिक्षा प्राप्त करता है तब वह उसे बहुत शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है।[४]

इस दृष्टिकोण से एक सामान्यस्थान पर एकत्रित होकर सामूहिकता की भावना को प्रोत्साहन देना, जनजातीय संस्कृति की शिक्षा प्राप्त करना तथा बाहरी आक्रमणों से समुदाय की रक्षा करना ही इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य माने जा सकते हैं। उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी निम्न तालिका के माध्यम से प्रस्तुत है :

तालिका

क्र०	उद्देश्य	आवृत्ति	प्रतिशत
१.	सामाजिक और सांस्कृतिक	४१	५१.२५
२.	मनोरंजनार्थ	१५	१८.७५
३	जीवन साथी चयन हेतु	५	६.२५
४.	अन्य	२	२.५०
५.	अनुपयुक्त	१७	२१.२५
	योग	८०	१००.००

उपर्युक्त आँकड़ों से यह ज्ञात होता है कि ५१.२५% गोंड युवागृह के सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों को प्रमुखता देते हैं, १८.७५% इसे मनोरंजनार्थ तथा ६.२५% जीवन साथी चयन को युवागृह का उद्देश्य मानते हैं।

युवागृह के प्रकार्य

युवागृह केवल शयनगृह और यौन प्रशिक्षण का केन्द्र ही नहीं है, अपितु उसकी सामाजिक प्रकार्यात्मक भूमिका भी है। इसके सदस्य सामूहिकरूप से कार्य करते हैं जिससे पारस्परिक स्नेह, सद्भावना और एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार युवागृह "समाजवादी व्यवस्था" के प्रतीक हैं।

एक शैक्षणिक संस्था के रूप में युवागृह अपने सदस्यों के समूह की संस्कृति, परम्परा, विश्वासों और जनजातीय नियमों के अनुसार व्यवहार पालन पर बल देते हैं। बाहरी रूप से इसकी कार्य प्रणाली बड़ी रोचक व मनोरंजक होती है। सन्ध्या उपरान्त, भोजन के पश्चात् गीत, नाच, किस्से कहानियाँ, हास-परिहास द्वारा परस्पर मनोरंजन सामाजिक धरातल पर पारस्परिक परिचय का द्योतक है।

यह मान्यता है कि "घोटूल" उनके लिये "लिंगो" देवता का वरदान है। अतः युवागृह के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य उस देवता के प्रति विश्वास की रक्षा तथा अनुशासन व संयम का पालन है। इसके प्रमुख प्रकार्य माने जाते हैं —

शिक्षण संस्था के रूप में संस्कृति, परम्परा का ज्ञान व पालन से नये सदस्यों का परिचय।

सामाजिक कार्य के रूप में स्नेह, सद्भाव, सहकार तथा विभिन्न सामान्य अवसरों पर भागिता आदि उद्देश्यों का ज्ञान तथा उनकी पूर्ति हेतु प्रेरणा देना।

स्वस्थ मनोरंजन और यौन शिक्षा द्वारा मनोरंजनात्मक कार्यों का सम्पादन तथा जीवन साथी चयन में सहायता।

आर्थिक कार्य के रूप में फसल बोने, काटने, अपने सदस्यों को रचनात्मक और उत्पादक कार्यों में लगाने के साथ सहयोग, समाज कल्याण की भावना को प्रोत्साहन, गृह निर्माण के कार्य के समय एक-दूसरे की विपत्ति में काम आने की भावना का निर्माण।

अन्य कार्यों के रूप में जंगली जानवरों से रक्षा, महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने हेतु चौपाल का कार्य।

उपर्युक्त दृष्टिकोण से युवागृह जनजातीय समूहों में अविवाहित लड़कों-लड़कियों की संयुक्त अथवा पृथक-पृथक समितियाँ हैं जहाँ नियमानुसार वे रातें बिताते हैं जिनका उद्देश्य खेलकूद, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद के बीच सामूहिक जीवन की शिक्षा प्राप्त करना है। एल्विन[५] के

अनुसार युवागृहों में बड़े उम्र के लोगों द्वारा कम उम्र के लोगों को काम की शिक्षा दी जाती है। यद्यपि इस मत को हट्टन, मजूमदार, शरत्चन्द्र राय ने स्वीकार नहीं किया है, उनका मत है कि इन संघों का कार्य जीवन की शिक्षा देना है और सदस्यों को आर्थिक सामाजिक व धार्मिक कार्यों के योग्य बनाना है। शरत्चन्द्र राय के अनुसार युवागृह तीन प्रकार के कार्य करते हैं —(क) भोजन एकत्र करना, (ख) युवतियों को जीवन की शिक्षा, और (ग) धर्म और जादू के संस्कारों को सिखाना। ग्रिगसन ने युवागृह का आधारभूत कार्य युवक और युवतियों को काम रहस्य से परिचित कराना माना है।

अध्ययन समूहों से युवागृह के कार्यों के सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त हुई उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ५६.२५% उत्तरदाता युवागृह के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य को प्रमुख मानते हैं। १६.२५% मनोरंजन और ६.२५% आर्थिक कार्य को मानते हैं। इस दृष्टिकोण से उत्तर बस्तर के गोंड में युवागृह का प्रमुख कार्य सामाजिक और सांस्कृतिक है।

युवागृह की उत्पत्ति

युवागृह की उत्पत्ति सम्बन्धी धारणाएँ अस्पष्ट हैं। हडसन का विचार है कि सामुदायिक जीवन में सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से इनका निर्माण किया गया। ग्रिगसन[६] ने युवागृहों की रचना में परिवार में स्थान के अभाव को माना है। राय के अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक और सामाजिक प्रशिक्षण हेतु इनकी उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि खाद्य पदार्थों का संकलन, फसल बोने और काटने का प्रशिक्षण, शिकार से संबन्धित क्रियाएँ इन युवागृहों के वरिष्ट सदस्यों द्वारा सिखायी और संचालित की जाती है।

डी० एन० मजूमदार[७] ने कुछ तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है—

शिकार और खानाबदोश जनजाति में इस संस्था का प्रचलन ज्यादा है।

जंगली जानवरों, अन्य समूहों से अपने समूह की स्त्रियों व पशुओं की रक्षा हेतु उत्पत्ति।

घर में यौन सम्बन्धों को खराब मानने की मानसिकता के कारण इनकी उत्पत्ति हुई है।

कुछ अन्य विद्वानों का, जिनमें जे० शेक्सपियर भी एक हैं, विचार है कि इन युवागृहों की रचना निकटाभिगमन से बचाने के लिये, तो कुछ अन्यों के अनुसार बच्चों को प्राथमिक सम्बन्धों की अन्तरंगता देखने से बचाने के लिये की गई है। कुछ विद्वानों के विचार से ये सामुदायिक आवासों के अवशेष हैं जो हडसन के अनुसार घर के विकास की सबसे पहली अवस्था थे जब सारा गाँव एक साथ रहता था। कुछ मानवशास्त्रियों का विचार है कि आने वाली पीढ़ी रक्त सम्बन्धियों से पृथक रहते हुए भी सांस्कृतिक और यौन प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।

सत्य तो यह है कि यह संस्था जीवन साथी चुनने के पर्याप्त और सुगम साधनों के साथ शिष्टाचार सम्बन्धी नियमादि को सीख कर संयम और अनुशासन द्वारा व्यक्तित्व निर्माण में समुचित योगदान देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने परिवार जनों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कुछ लोगों द्वारा रात्रि जागरण आवश्यक था। आग जलाना, हँसी-मजाक तथा आमोद-प्रमोद का संयोग इस उद्देश्य के साथ अच्छी तरह बैठ जाता है। सम्भवत: इसी उद्देश्य से इनकी उत्पत्ति हुई होगी। कालान्तर में ये क्रियाएँ एक निश्चित प्रणाली के रूप में विकसित होकर सांस्कृतिक संस्था युवागृह में बदल गयी।

पूर्व अध्ययनों के आधार पर भी यह प्रतीत होता है कि युवागृह प्राय: गाँव से बाहर बनाये जाते थे जो उनके मनोरंजन का एकमात्र साधन होता था।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह तो स्पष्ट है कि जनजातीय युवागृह उनकी संस्कृति के संवाहक के रूप में आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक कार्यों के सम्पादन में एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस बात की संभावना है कि प्रारम्भ में इसके निर्माण के पीछे कोई आधारभूत उद्देश्य रहा होगा, किन्तु धीरे-धीरे इसमें अनेक प्रयोजन जुड़ते चले गये होंगे। उत्तरदाताओं में युवागृह के पीछे कोई अनुकूल दृष्टिकोण नहीं दिखाई देता। २८.७५% उत्तरदाता इसे अच्छा नहीं मानते हैं। कारण पूछने पर बताया कि सभ्यता व समाज के विकास के साथ ही कई दूषित मनोवृत्तियों का प्रभाव पड़ने लगा है जिसमें इनके कार्यों के सम्पादन में कई प्रकार की विकृत्तियाँ जैसे अनैतिक यौन सम्बन्ध, उद्देश्य का समाप्त होना जन्म लेने लगी है। २६.२५% उत्तरदाता इन्हीं वजहों से अब इसे अच्छा नहीं मानते। ११.२५ शिक्षा के प्रभाव को, १३.७५% अनैतिक यौन सम्बन्धों को, शेष १३.७५% अन्य कारण तथा उद्देश्यों की पूर्णता की दिशा में अक्षमता को युवागृह के प्रतिकूल दृष्टिकोण को कारण मानते हैं।

युवागृह का पतन

जनजातीय संस्कृति की यह प्राचीन संस्था अब अपनी मौलिकता खोने लगी है। शत-प्रतिशत उत्तरदाता भी इस बात से सहमत हैं कि वर्तमान में युवागृह का पतन होने लगा है। आधुनिक सभ्यता के परिणामस्वरूप, संचार के साधनों के विस्तार, शहरी आकर्षण, अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन और शिक्षा का प्रसार होने से जनजातियाँ सभ्य समाज के सम्पर्क में अपने परम्परागत प्रतिमानों की अवहेलना करने लगी है। उन्हें अपनी इन मूलभूत संस्थाओं में दोष तथा इनके पालन में हीनता व पिछड़ेपन का आभास होने लगा है। उदाहरण के लिये जोहारी भोटिया जो "रंगबंग" को समाप्त कर चुके हैं, अपने आपको "दारमा" एवं "व्यास" के भोटियों की अपेक्षा हिन्दुओं के निकट समझते हैं तथा इनके पालन करने वालों को तिरस्कार करते हैं। परिणामस्वरूप इस संस्था का प्रचलन कम हो गया है और यदि है भी तो अत्यन्त ही पिछड़े हुए भोटिया लोगों में ही है।

युवागृह गोंड जनजातीय समाज की मौलिक संस्था है जो "घोटुल" के नाम से प्रचलित है। सभ्य समाज के सम्पर्क से युवक और युवतियों के आमोद-प्रमोद के साधन अन्य केन्द्र हो गये हैं। शिक्षा के प्रसार से वे अपने आपको श्रेष्ठ महसूस करते हैं तथा 'युवागृह' में जाना पिछड़ेपन का प्रतीक मानते हैं। अपने अधूरे व अविकसित ज्ञान से वे युवागृहों के विरुद्ध सभी जगह भ्रामक प्रचार करने लगे हैं। कुछ युवक इस श्रेणी के भी हैं जो युवागृह जाते हैं किन्तु सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय योगदान हेतु नहीं, बल्कि यौन सन्तुष्टि हेतु जाते हैं।

उत्तरदाताओं ने युवागृह के पतन के कारणों में शिक्षा के प्रसार को प्रमुख कारण माना है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है :—

तालिका

क्र०	कारक	आवृत्ति	प्रतिशत
१	शिक्षा का प्रसार व सभ्य समाज से संपर्क	६५	८१.२५
२	औद्योगीकरण व पश्चिमीकरण	०४	५.००
३	अन्य (जैसे दूषित मानसिकता, मनोरंजन के अन्य साधनों का बढ़ता प्रभाव)	११	१३.७५
	योग	८०	१००.००

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि युवागृह के पतन के लिए ८१.२५% उत्तरदाता इन जनजातियों पर सभ्य समाज के बढ़ते हुए सम्पर्क, शहरों का आकर्षण तथा शिक्षा के प्रसार को, १३.७५% उत्तरदाता अन्य कारणों को जैसे मनोरंजन के अन्य केन्द्रों का बढ़ता प्रभाव और दूषित मनोवृत्ति को कारण मानते हैं।

उक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर कुछ प्रमुख तत्व निष्कर्ष के रूप में माने जा सकते हैं :—

१. वर्तमान सन्दर्भ में युवागृह का उद्देश्य (जिन समाजों में यह संस्था अपने प्राचीन रूप में विद्यमान है), सामाजिक और सांस्कृतिक है।

२. युवागृह का प्रमुख कार्य सामाजिक है। अपने सदस्यों को सामूहिक जीवन का बोध और इस भावना का विकास है।

३. आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से यह संस्था अब अपना मूल रूप खोने लगी है, इसलिये अब इसे अच्छा नहीं माना जाता।

४. शिक्षा के प्रचार ने उनमें नयी चेतना को जन्म दिया है जिससे मनोरंजन तथा आर्थिक कार्य के सम्पादन हेतु अन्य संस्थाओं में प्रतिभागी होने लगे हैं।

५. आधुनिक शक्तियाँ इस संस्था में विघटन लाने लगी हैं जिसे सभी स्वीकार करते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जनजातीय समाज सभ्य समाज से पृथक एक ऐसा समाज है जो कहीं-न-कहीं हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का परिचायक है। इनके अस्तित्व की निरन्तरता के लिये यह आवश्यक है कि इनके सम्बन्ध में भ्रामक प्रचार को, दूषित मानसिकता को बदलने की कोशिश की जाये ताकि ये संस्थाएँ अपने प्राचीन रूप में रहें, अन्यथा मिस्र की संस्कृति की भाँति केवल इनके अवशेष ही रह जायेंगे। निदानात्मक रूप से इनके सुधार व परिवर्तन की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

१ श्रीचन्द्र जैन, "आदिवासियों के बीच" दिल्ली : कमल प्रेस, १९८०, पृ० १०३।

२ मजूमदार और मदन, "समाजिक मानवशास्त्र परिचय", दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, १९७८, पृ० ११३।

३ डी० एन० मजूमदार, "रेस एण्ड कल्चर ऑफ इण्डिया", बम्बई : एशिया पब्लिशिंग हाऊस, १९६३, पृ० २२५।

४ जी० के० अग्रवाल, "सामाजिक मानवशास्त्र", आगरा : आगरा बुक स्टोर, १९८५, पृ०।

५ वैरियर एल्विन, "दि मुरिया एण्ड देयर घोटुल", लन्दन : आक्सफोर्ड यूनि० प्रेस, १९५७।

६ डब्ल्यू० वी० ग्रिगसन, "दि मुरिया गोंडस ऑफ बस्तर", लन्दन : आक्सफोर्ड यूनि० प्रेस, १९४९, द्वितीय संस्करण।

७ डी० एन० मजूमदार, "रेसेज एण्ड कल्चर ऑफ इण्डिया" १९६१, पृ०।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अग्रवाल, जी० के०, सामाजिक मानवशास्त्र, आगरा : आगरा बुक स्टोर, १९८५।

उत्प्रेती, हरिश्चन्द्र, भारतीय जनजातियाँ, समाजविज्ञान हिन्दी रचना केन्द्र, राजस्थान।

जैन, श्रीचन्द्र, आदिवासियों के बीच, दिल्ली : कमल प्रेस, १९८०।

दुबे, श्यामाचरण, मानव और संस्कृति, दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, १९६०।

मजूमदार, डी० एन०, सामाजिक मानवशास्त्र—एक परिचय, दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, १९७८।

राममूर्ति, एक जनजातीय समाज, आगरा : आगरा बुक स्टोर, १९८६।

Elvin, V. The Muria and Their 'Ghotul'. London : Oxford Univ. Press, 1957.

Grigson, W. V. The Muria Gonds of Bastar. London : Oxford Univ. Press, 1949, Second Edn.

Majumdar, D. N. Races and Culture of India. Bombay : Asia Publishing House, 1963.

Shashi, S. S. Night Life of Indian Tribes. New Delhi : Publication Division.

Social Action, Apr-June 1969, vol. 19, No. 2.

Social Forces, Sep., 1968, vol. 47, No. 1; and Dec. 1969, vol. 48, No. 2.

Social Welfare, Dec. 1969, vol. 16, No. 9 and Aug. 1970, vol. 17, No. 5.

भोक्सा जनजातीय भोज्य पदार्थ, एक जैव-सांस्कृतिक अध्ययन

उदय प्रताप सिंह एवं
डा० बृजराज किशोर शुक्ला

मानव जाति के अतीत पर दृष्टिपात करने से हमें यह बोध होता है कि आदि-काल (पुरापाषाण युग) से ही उसकी तीन मूल भूत आवश्यकतायें थी—आहार, वस्त्र एवं निवास। इनके अभाव में मानवीय अस्तित्व अधूरा था असम्भव था। इनमें भोजन एक जैविक आवश्यकता है जिसकी आपूर्ति आरम्भ से ही मानव प्रकृति-प्रदत्त सामग्री से करता था, तत्पश्चात उपलब्ध सामग्री से आखेटक उपकरणों का निर्माण करने की है। उल्लिखित आवश्यकता हेतु यह आज भी परमावश्यक है कि समस्त व्यक्ति पारस्परिक सहयोग के लिए तत्पर रहें। यह सभी तभी सम्भव है जब परिवार के ही नहीं अपितु कुल समुदाय के सदस्यों, पुरुष स्त्री तथा बच्चों, का आपस में पूर्ण सहयोग एवं सहचरण प्राप्त होता रहे।

प्रत्येक समाज में भोजन प्राप्ति के कोई एक समान नियम नहीं हैं, तदनुसार शारीरिक संरचना एवं विकास है। प्रकृति, जो उनकी प्रथा, परम्परा एवं जनांकिकी गठन पर निर्भर करती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। अतः उन लोगों द्वारा लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभिन्न नैसर्गिक परिवेश में विशिष्ट प्रविधियों का विकास हुआ। वह कितनी सक्षम विकसित अथवा अविकसित है इसी पर अधिकांशतः सांस्कृतिक विकास का स्तर आधारित होता है।

भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश की एक अनुसूचित जन जाति है जो कुल चार उत्तरी जनपदों नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून तथा बिजनौर में छोटी-छोटी ग्रामीण बस्तियों में पायी जाती है, जिनके जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन कृषि है। ये कृषि कार्य स्वयं करते हैं। इसके अतिरिक्त मजदूरी, लकड़ी संग्रह, आखेट, रेशम के कीड़े, मुर्गी एवं पशुपालन है। खेतों में

उदय प्रताप सिंह, जूनियर रिसर्च फेलो एवं बृजराज किशोर शुक्ला, रीडर, मानव विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

भोक्सा लोग चावल (धान) गेहूं, जौ, चना, मक्का, कुल्थी उगाते हैं। दलहन में उर्द, चना मसूर, राज्मा तथा अक्सा प्रमुख हैं। गन्ना तथा लाही नगदी फसलों में हैं। हरी सब्जियाँ आवास के पास ही वाटिका में उगाते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता की अन्य वस्तुएं जो इनके यहाँ नहीं उपजती, उसको चावल या धान से विनमय कर लेते हैं।

भोक्साओं की अभिरुचि का आहार चावल, मांस व मछली है। चावल को यहाँ चार प्रकार से पकाया जाता है—सूखा भात, गीला भात, माड़ व मिसौला। इससे सम्बन्धित आचार एवं नियम भी हैं। प्रातः काल कलेवा में सूखा भात व माड़ ही बनता है। रात्रिकाल में इच्छित आहार गीला भात है। ये लोग माड़ अतिथि को नहीं परोसते, क्योंकि भोज्य पदार्थों में यह नगण्य माना जाता है। भाप में पका हुआ चावल सर्वोत्कृष्ट माना जाता है जो अतिथि सत्कारार्थ पर्योचित है। चावल मक्का तथा मडवे की रोटियों का उपभोग बड़ी ही रुचि से करते हैं।

ये लोग आहार में सब्जियों का उपभोग प्रचुर परिमाण में करते हैं जो मौसमानुकूल होती हैं। भोक्सा स्वयं उगाने वाली सब्जियों का प्रयोग अधिकांशतया करते हैं। प्रमुख सब्जी घुइयाँ (अरबी) तथा आल है क्योंकि इसकी उपज अधिक है तथा वर्ष भर सुरक्षित रखी जा सकती है। हरी सब्जियों में सेम, मटर, लौकी, तुरई, भिण्डी, फूलगोभी तथा गोभी, करेला तथा चचेड़ा आदि सब्जियाँ खाई जाती हैं। भोक्सा प्याज की सब्जी भी बनाकर खाते हैं।

माँस भोक्साओं के जीवन का प्रमुख आहार है। पशु मांस हेतु ये जंगली जानवरों का आखेट करते हैं। खरगोश का आखेट एक तरफ जाल लगा कर किया जाता है। कतिपय भोक्सा तो कुत्ते के सहयोग से छोटे जंगली जानवरों का शिकार लाठी तथा डण्डे से ही कर लेते हैं। इन लोगों को स्वयं आखेट किया हुआ मांस अधिक प्रिय है। जंगली पशुपक्षियों में सुअर, भेड़, चीतल, पाड़ा, हिरन, खरहा, गरहसिहा, साही, लोमड़ी, बटेर, कक्कड़ तथा कबूतर आदि का मांस खाते हैं। भोजनापूर्ति हेतु अधिकांशतया बकरे, सुअर, मुर्गी, बतख आदि पालते हैं। लेकिन सुअर का मांस मुसवानी गोत्र वाले भोक्सा नहीं खाते हैं। पशुबलि में ये सब देवी देवताओं का भोग लगाने के पश्चात ही पशु मांस का उपयोग करते हैं। पशु-बलि प्रथा यहाँ की रूढ़ि बन गयी है जिसका प्रभाव प्रत्येक वर्ष घर पर आई आपदा अथवा ओपरा—विश्वास के निवारणार्थ (भूत-प्रेत), यहाँ का सामाजिक डाक्टर, जिसको 'सयाना' कहा जाता है, पशु बलि चढ़ाता है। इस ओपरा-बलि में मुर्गा, बकरा आदि की ही बलि 'सयाना' स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त यदाकदा विशेष अनुष्ठानों में अथवा अतिथि—आगमन पर बिना बलि चढ़ाये भी पशुओं को स्व-उपभोग के लिए काट कर मांस पका देते हैं। बकरे, मुर्गा व बतख जो पालने के लिए सरकार उपलब्ध कराती है प्रायः उसे मारकर खा जाते हैं बाद में किसी बीमारी से मर जाने के प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अब पशु-बलि प्रायः परम्परा-गत नहीं दिखाई देती।

मांस को विशेष विधि से नहीं पकाते हैं लगभग सभी मांस एक ही प्रकार के मसाले का प्रयोग करके बनाया जाता है। वही मसाला सब्जी पकाने में भी प्रयोग करते हैं। मसालों में हल्दी, मिर्चा, धनियाँ, कालीमिर्च, सोंठ, मेथी, अदरख, नमक आदि का प्रयोग करते हैं। जीरा, कालीमिर्च, नमक को बाजार से विनिमय अथवा क्रय करते हैं। मसालों को अधिकतर ओखली में कूट कर प्रयोग करते हैं। मिर्चा, प्याज व लहसुन का प्रयोग ये लोग बहुत अधिक करते हैं।

मत्स्याहार सर्व प्रिय भोजन है। मछली को ये लोग नदी, तालाबों एवं खड्ड में एकत्रित पानी से पकड़ते हैं यदाकदा बाजार से विनिमय अथवा क्रय कर लेते हैं लेकिन ऐसा विशेष अवसरों जैसे दावत या अतिथि सत्कार में ही करते हैं। मत्स्य-संग्रह पुरुष एवं बच्चे करते हैं लेकिन कभी-कभी युवतियाँ भी सहयोग करती हैं वर्षा-ऋतु में तो सामूहिक मत्स्याखेट होता है। आखेट में बहुएं सम्मिलित नहीं होती क्योंकि उन्हें घर के अन्य कार्य (खाना पकाना आदि) की देख-रेख करनी होती है। कभी-कभी जब मछली का शिकार नहीं कर पाते हैं तो भोक्सा-जन केकड़ा, झींगा आदि से ही काम चला लेते हैं जो इन्हें स्वादिष्ट एवं प्रिय लगता है।

अदरख, इमली एवं आंवला के अचार से भोक्सा लोग भोजन का स्वाद-वर्धन करते हैं। इसके अतिरिक्त आम, मूली, जामुन, झरबेरी का भी अचार बनाते हैं।

भोक्सा जनजाति दुग्ध आपूर्ति हेतु पशुओं को पालते हैं जो दुधारू होते हैं जैसे—गाय, भैंस, बकरी आदि। प्रायः यह लोग खाने के अतिरिक्त दुग्ध विक्रय कर देते हैं अथवा उसकी अन्य सामग्री बनाकर बेच देते हैं। चाय का प्रयोग अतिथि सत्कार में प्रातःकाल एवं सायंकाल करते हैं। चाय अधिकांशतः गुड़ से बनाते हैं।

भोक्साओं में भोजन मात्र रसोई घर में बनता है रसोई घर मकान का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। रसोई घर के पास ही देवता का वास होता है यही कारण है इसे साफ सुथरा एवं पवित्र रखा जाता है 'नहीं तो देवता अप्रसन्न हो जायेंगे' ऐसा माना जाता है। रसोई घर स्त्रियों का एकाधिकार होता है रसोई घर में वाह्य पुरुष अथवा अन्तः पुरुष को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। यदि गलती से रसोई घर में प्रवेश कर भी जाये तो स्त्रियाँ उसकी अशुद्धता निवारणार्थ गोबर या मिट्टी से लीपती हैं। स्त्रियाँ प्रातःकाल शौच से निवृत्त होकर रसोई घर की सफाई करती हैं। तत्पश्चात खाना पकाने का कार्यारम्भ होता है। रसोई में चूल्हे कतिपय विशेष अवसरों पर जैसे बच्चे का विवाह आदि पर ही बनाये जाते हैं। सम्पूर्ण उत्सव का भोजन इन्हीं चूल्हों पर ही पकाया जाता है।

घर में खाना के प्रकार का निर्धारण घर की मालकिन करती है। आहार तैयार करने का कार्य घर की बहुएं करती हैं। परिवार की लड़कियां इनकी सहायता करती हैं। भोज्य पदार्थ मालकिन निकाल कर देती हैं। बहुएं स्वयं नहीं निकाल सकती।

मालकिन के न होने पर इसका निर्धारण वरिष्ठ बहू करती हैं। संयुक्त परिवार में खाना पकाने पर कोई मनमुटाव न होने पाये इसलिए मालकिन हर बहू को खाना पकाने के महीने निश्चित करके इसका निदान करती हैं। यदि एक बहू रसोई हर का कार्य करती है तो दूसरी घर के अन्य कार्य सम्पन्न करेगी। बीमारी की अवस्था में दूसरी बहू या बहू की लड़कियाँ या बहू की ननद (पति की बहन) घर का काम करती हैं।

यहाँ खाना दो बार खाने का प्रचलन है, लेकिन फसलों की कटाई या वपन के समय दिन में तीन बार खाते हैं। स्त्रियाँ दो बार ही भोजन करती हैं। सुबह का खाना दोपहर बारह बजे तक खा लिया जाता है। इस समय अधिकतर भात, दाल, माड़ या सब्जी खाई जाती है। दिन भर कठिन परिश्रम करने के पश्चात ये लोग शायंकालीन खाने में पहले शराब का सेवन अधिकतर करते हैं। नियमतः बलि सायंकाल चढ़ाई जाती है, इसलिए मांस रात्रिकाल में पकाया जाता है। मछली दिन में ही एकत्र की जाती है। मांस मछली के अभाव में सब्जी ही पकाई जाती है। खाने में रोटी का प्रयोग बहुत कम है लेकिन चावल और मक्का की रोटी अधिकांशतया खाते हैं।

चूंकि इनकी अर्थव्यवस्था का स्रोत कृषि के अतिरिक्त मजदूरी, लकड़ी काटकर बेचना, रस्सी बटकर बेचना आदि भी है तो प्राप्त मजदूरी (दहाड़ी) से ये बाजार से आटा खरीद लेते हैं जिससे प्रायः रोटी बनाते हैं। ये वर्ग चावल की प्रचुरता के फलस्वरूप इसे अधिक नहीं खाते हैं।

अन्य समुदायों की तरह भोक्सा समुदाय में भी भोजन सम्बन्धित कतिपय आचार-विचार व नियम हैं। इसके अतिक्रमण करने पर यह लोग बुरा मानते हैं। दो लोग कभी भी एक साथ या एक ही थाली में नहीं खाना पसन्द करते, चाहे वह कितना ही निकट सम्बन्धी क्यों न हो। थाली को धोये बिना दूसरा व्यक्ति उसमें भोजन नहीं कर सकता है। कोई भी भोक्सा स्त्री तब तक भोजन नहीं करती जब तक कि उसके परिवार के प्रत्येक पुरुष ने भोजन न कर लिया हो। स्त्रियाँ जिस स्थान पर भोजन पकाती हैं उसी स्थान पर खाती हैं। पुरुष या अतिथि रसोई में खाना नहीं खाते। यदि किसी के यहाँ कोई अनुष्ठान हो, तो सभी स्त्रियाँ भोजन बनने की जगह ही एक साथ खाना खाती हैं। शादी-ब्याह में वाह्य अतिथि पुरोहित (हिन्दू, ब्राह्मण) नाई आदि के साथ भोक्सा पंक्ति में नहीं खाते। इनके लिए खाना पुरोहित स्वयं बाहर खेत में बनाता है, वहीं पर सबसे पहले वाह्यागन्तुक (जो विवाह में सम्मिलित होता है) और ब्राह्मण के खाना खाने के पश्चात नाई खाना खाता है। शेष भोजन भोक्सा लोग घर में रख लेते हैं। चावल तथा मूंग व उरद की दाल शादी ब्याह में प्रमुख भोजन है।

भोक्सा जनजाति में भोजन सम्बन्धी कतिपय निषेध पाये जाते हैं। इसमें कुछ धार्मिक कारण हैं तथा कुछ निषेध स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर बनाये गये हैं। इनके यहाँ गोमांस खाना वर्जित है। बलि पर चढ़ाये हुए जानवर का मांस बाहर खाना मना होता है। सुअर का

मांस प्रतिदिन खाना निषिद्ध है। जिस परिवार में चेचक (माई) का प्रकोप है उस परिवार में मांस मछली का प्रयोग नहीं करते। अन्त्येष्टि क्रिया को जो व्यक्ति सम्पन्न करता है उसको एक सप्ताह घर में खाना नहीं दिया जाता है। घर के बाहर पर्ण वाटिका में ही खाना खाना अच्छा माना जाता है। इस अवधि में मृत आत्मा को बिना श्रद्धा-अर्जन किये आहार लेना वर्जित है।

भोक्सा लोग शराब, गाँजा, भाँग, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि मादक पदार्थों का सेवन अत्यधिक करते हैं। शराब जीवन का एक अनिवार्य अंग है। अधिकतर यह लोग भट्ठी लगा कर सीरे, चावल तथा महुए से देशी शराब तैयार करके पीते हैं। यह शराब थोड़ी सस्ती पड़ती है। भोक्साओं के यहाँ अनुष्ठानों में (जैसे शादी, व्याह) किशोरों के साथ वृद्ध पुरुष भी शराब पीकर के खूब नाचते गाते हैं। बच्चे व औरतों के लिए इनके यहाँ शराब पीने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। फिर भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ कम शराब पीती हैं।

बीड़ी तथा हुक्के का सेवन पुरुष या स्त्री दोनों ही करते हैं। ये लोग स्व-प्रयोग के लिए तम्बाकू स्वयं पैदा करते हैं उसका प्रयोग हुक्के में भरकर, गाँजे के साथ मिलाकर, चिलम में भरकर तथा चूने में मिलाकर करते हैं। औरतों व पुरुषों का हुक्का अलग-अलग होता है। इसके अतिरिक्त बीड़ी पीने का प्रचलन बच्चों, युवकों, वृद्ध तथा स्त्री पुरुषों में अधिक है।

भोक्साओं की आहार सामग्री तथा आहार व्यवस्था पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात होता है कि कृषक अथवा अर्धकृषक अधिकतर उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करता है तथा अन्य वर्ग जैसे मजदूर काठ-संग्रहक आदि को दैनिक उपभोग की वस्तुओं को क्रय करना पड़ता है। लेकिन यह वर्ग भी सब्जी इत्यादि का क्रय बहुत कम करता है। कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं मसाले, नमक तथा प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाली अन्य सामग्रियों के लिए दूसरों समाजों पर निर्भर रहते हैं। यद्यपि भोजन व्यवस्था की परिप्रेक्ष्य में उन्हें पूर्णतः स्वावलम्बी नहीं कहा जा सकता, दिन प्रतिदिन पराश्रितता बढ़ती चली जा रही है। भोजन के प्रत्येक पक्ष पर प्रेक्षण करने से यह दृष्टिगोचर होता है कि उनकी आहार प्रविधि में बहुत अधिक विषमताएं नहीं हैं। कुछ विशेष अनुष्ठानों को छोड़कर शेष समस्त दिनों में लगभग समान प्रकार का भोजन प्रयुक्त किया जाता है। आधुनिक समाज की आहार-व्यवस्था ने भी उनको प्रभावित किया है उनकी भोजन शैली अब भी किसी सीमा तक पारम्परिक कही जा सकती है। भोक्सा समाज को खाद्य रुचि के संदर्भ में वाह्य समाज से अप्रभावित कह सकते हैं। आहार के परिप्रेक्ष्य में युवा वर्ग पर सभ्यता का प्रभाव देख सकते हैं। शासन की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होने के फलस्वरूप कतिपय बीमारियों जैसे—मलेरिया का प्रकोप कम हुआ फिर भी उनके भोज्य पदार्थों में मांस, मछली, प्याज, लहसुन, लालमिर्च व मसालों की प्रचुरता से मलेरिया ग्रसित रोग पर्यावरण से सामन्जस्य स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। भोजन में पोषक तत्वों की प्रचुरता न होने के कारण अन्य रोग जैसे—स्कर्वी, गठिया रतौंधी आदि होता है। साफ-सुथरा, रहन-सहन एवं पालन-पोषण के

अभाव से संक्रामक रोग का भी प्रकोप है खाद्य पदार्थों में लौह खनिज की अल्पता के कारण स्त्रियों में लूकोरिया रोग भी पाया जाता है। दूसरी तरफ पोषक तत्वों एवं प्रोटीन के कारण ही मांस एवं दाल का सेवन भी करते हैं। अन्त में यहाँ पर खाद्य पदार्थों और इससे जुड़े हुए सांस्कृतिक नियमों या विश्लेषणात्मक प्रेक्षण करने से यह कहना तर्कसंगत होगा कि आहार वस्तु वही प्रचलित है जो प्राकृतिक प्रदत्त, सांस्कृतिक नियमानुकूल एवं स्वाद प्रिय है।

नोट—प्रस्तुत अध्ययन देहरादून के दूनघाटी एवं नैनीताल जनपद के बाजपुर एवं गदरपुर विकास खण्ड में बसे हुए भोक्सा जीवन पर आधारित है।

हमारे नवीनतम प्रकाशन

119.	Anthropological Approaches to the Study of Complex Societies —(Ed.) B. C. Agrawal	Rs.	60.00	$ 16.00
120.	Puja in Society —Akos Ostor	Rs.	45.00	$ 12.00
121.	Drinks and Drugs in a North Indian Village—An An Anthropological Study —B. R. K. Shukla	Rs.	70.00	$ 18.00
122.	Modern Development and Traditional Ideology among Tribal Societies —C. von Fürer-Haimendorf	Rs.	45.00	$ 12.00
123.	Decision Processes in Rural Development in India —Sylvia Marion Hale	Rs.	120.00	$ 30.00
124.	Anthropological Perspectives (Ed.) K. S. Mathur *et. al.*	Rs.	160.00	$ 40.00
१२५.	भारत का सांस्कृतिक पुनर्निर्माण —(सं०) रघुराज गुप्त	रु०	८०.००	$ २०.००
126.	Gonds and Their Neighbours —Urmila Pingle and C. von Fürer-Haimendorf	Rs.	100.00	$ 25.00
१२७.	प्रागैतिहासिक मानव के कार्यकलाप शैलचित्रों के दर्पण में —यशोधर मठपाल	रु०	४०.००	$ १०.००

सम्पर्क सूत्र—

प्रकाशन निदेशक,
एथनोग्राफिक एण्ड फोक कल्चर सोसायटी
पो० बा० नं० २०६,
७-ए, राम कृष्ण मार्ग फैजाबाद रोड
लखनऊ-२२६ ००७
(फोन : ७२३६२)